उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 09.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 09.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 09.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा साप्ताहिक मंगलवार परेड की सलामी ली गयी, टोलीवार निरीक्षण एवं ड्रिल करायी गयी, रिक्रूट आरक्षियों को संबोधित कर अनुशासन एवं स्वच्छता का पढाया पाठ –

आज दिनांक- 09.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा में साप्ताहिक मंगलवार परेड की सलामी ली गई। परेड उपरांत टोलीवार निरीक्षण एवं अनुशासन हेतु टोलीवार ड्रिल कराई गई। पुलिस कर्मियों की शारीरिक व मानसिक दृढ़ता के लिए दौड़ भी आयोजित की गई।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन महोबा में जनरल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को पुलिस बल की गरिमा और कर्तव्यनिष्ठा के महत्व को रेखांकित करते हुए अनुशासन, एकरूपता, स्वच्छ एवं सही ढंग से वर्दी धारण करना, परिसर की स्वच्छता बनाए रखना जैसे मूलभूत बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट किया गया कि एक उत्तरदायी पुलिस कर्मी न केवल अपने कार्यों से बल्कि अपने आचरण एवं व्यक्तित्व से भी समाज में विश्वास का प्रतीक होता है। नवचयनित आरक्षियों के बैरक, क्लासरूम, मेस व भोजनालय का निरीक्षण कर स्वच्छता एवं अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

परेड के बाद अर्दली रूम कार्यवाही के दौरान गार्द रजिस्टरों की जांच की गई तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक/आरआई महोबा श्री शिवकुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने फर्जी रायल्टी प्रकरण से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से फर्जी रायल्टी पेपर व मोबाइल फोन बरामद...।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में फर्जी रायल्टी प्रकरण के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कबरई, श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई थी।

थानाध्यक्ष कबरई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आज दिनांक- 09.09.2025 को थाना कबरई में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 246/25 धारा 305/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2)/3(5) बीएनएस 01 नफर वांछित अभियुक्त अभय उर्फ अज्जू उर्फ विमल सिंह पुत्र कल्लू सिंह उम्र करीब 22 वर्ष नि. ग्राम अमलीकौर थाना तिंदवारी जनपद बांदा को थानाक्षेत्र अन्तर्गत कबरई रेलवे स्टेशन की तरफ बहद कस्वा व थाना कबरई से नियमानुसार गिरफ्तार किया है। इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 03 अदद फर्जी रायल्टी पेपर व 01 अदद मोबाइल एंड्राइड फोन की बरामदगी की गयी है । अभियुक्त की गिरफ्तारी व कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष कबरई, श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. उ0नि0 गौरव चौबे 3. का0 धर्मेन्द्र कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभय उर्फ अज्जू उर्फ विमल सिंह पुत्र कल्लू सिंह उम्र करीब 22 वर्ष नि. ग्राम अमलीकौर थाना तिंदवारी जनपद बांदा

बरामद सम्पत्ति –

अभियुक्त के कब्जे से 03 अदद फर्जी रायल्टी पेपर व 01 अदद मोबाइल फोन बरामद

थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई अवैध शस्त्र व कारतूस सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक- 08.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्वेक्षण में प्र0नि0 थाना कोतवाली नगर महोबा श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित पुलिस टीमों द्वारा दो अलग–अलग स्थानों से कार्यवाही करते हुए कुल 02 नफर अभियुक्तों को अवैध शस्त्र व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है।

उ0नि0 प्रवीण सिंह चौकी प्रभारी पसवारा के नेतृत्व में प्रथम पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त अमर सिंह उर्फ केवल सिंह पुत्र दृगपाल सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम चंदवारा थाना प्रकाश बम्हौरी जनपद छतरपुर म0प्र0 को इण्डस वैली पब्लिक स्कूल के आगे महोबा पसवारा रोड दीवान बाबा मंदिर मोड़ की पुलिया पर बहद ग्राम पसवारा के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ।

उ0नि0 योगेश कुमार शुक्ला चौकी प्रभारी सुभाष के नेतृत्व में द्वितीय पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियक्त नीरज सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रैपुरा खुर्द थाना कोतवाली नगर महोबा को थानाक्षेत्र अन्तर्गत मेला ग्राउण्ड कीरत सागर के पास बहद मु0 पतीवरा के पास से हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में क्रमशः मु.अ.सं. 406/2025 व मु.अ.सं. 407/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अमर सिंह उर्फ केवल सिंह पुत्र दृगपाल सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम चंदवारा थाना प्रकाश बम्हौरी जनपद छतरपुर म0प्र0
2. अमन सोनी पुत्र किशन सोनी उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मुचियाना थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीमः-

(प्रथम टीम)
1. उ0नि0 प्रवीण सिंह चौकी प्रभारी पसवारा
2. कां0 राजकुमार चौहान 3.का0 पंकज सिसौदिया

(द्वितीय टीम)
1. उ0नि0 योगेश कुमार शुक्ला चौकी प्रभारी सुभाष
2. उ0नि0 अंकित सिंह चौहान 3. का0 चंदन पांचाल

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में *महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा* सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक- 09.09.2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में जनपद के अन्य थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पम्पलेट वितरित कर हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया गया। जिसमें क्रमशः

थाना कोतवाली नगर महोबा – राकथा मार्ग में

थाना कबरई – कस्बा कबरई में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में

थाना खन्ना- कस्बा कबरई में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में

थाना चरखारी – ग्राम रिवई के एएलडीपी इंटर कालेज जाकर

थाना खरेला – कस्बा खरेला प्रत्येक मंगलवार को लगने वाले मंगली बाजार में

थाना श्रीनगर – कस्बा श्रीनगर में

थाना पनवाड़ी – थाना पनवाड़ी के नेहरू इंटर कालेज जाकर

थाना महोबकंठ – कंपोजिट कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय महोबकंठ में

इस दौरान महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर परस्पर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों, *गुड टच-बैड टच*, *साइबर अपराध* से बचाव एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:-

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, **1076 –** मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
1090 – विमेन पावर हेल्पलाइन, **1930 –** साइबर अपराध हेल्पलाइन **102 –** स्वास्थ्य सेवा,
108 – एम्बुलेंस सेवा **1098 –** चाइल्ड हेल्पलाइन, **181 –** महिला हेल्पलाइन

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और हर परिस्थिति में उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 09.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

महोबा पुलिस की बड़ी कार्यवाही – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार...।

दिनांक 27.08.2025 को उप कृषि निदेशक महोबा की तहरीर सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 387/25 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोप था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना भूस्वामी की सहमति के कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से विभिन्न गाटा संख्याओं पर बीमा करा लिया गया है एवं कम्पनी द्वारा बिना डाटा सत्यापित किये क्लेम का भुगतान कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त प्रकरण का तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में उक्त धोखाधडी से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में संलिप्त अभियुक्तों की जानकारी एवं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री मनीष कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

विवेचना के दौरान उप कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर प्रकाश में आये अभि0गण के विरूद्ध उक्त अभियोग में धारा 338/336(3)/340(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

प्र0 नि0 थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित हुई थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम द्वारा उक्त पंजीकृत अभियोग की गहन जांच/ विवेचना से महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। जिसके क्रम में आज दिनांक- 09.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर राठ चुंगी मोड़ मंदिर के पास से मुकदमें में वांछित/प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मदनपाल राजपूत पुत्र किशोरीलाल, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम भुजपुरा, थाना महोबकंठ
2. बृजेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र स्व0 बहादुर सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम दुलारा, थाना महोबकंठ
3. नरसिंह उर्फ नीशु पटेल पुत्र फूलसिंह पटेल, निवासी ग्राम थलौरा, थाना महोबकंठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक श्री मनीष कुमार पाण्डेय, प्र0नि0 थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 दिनेश तिवारी थाना कोतवाली नगर महोबा
3. का0 मुकेश सिंह 4. का0 अभिषेक पटेरिया 5. का0 अवनेश कुमार

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक नफ़र अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक- 27.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम उ.नि. अर्जुन प्रसाद पटेल मय हमराह हे.कां. दिनेश सिंह व कां. अजय कुमार के द्वारा चेकिंग के दौरान एक नफ़र अभियुक्त रामकिशोर पुत्र रामरतन श्रीवास उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु0 नवादा कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को छोटी नहर पुलिया से करीब वहद ग्राम सबुआ थाना चरखारी जनपद महोबा से हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 201/2025 धारा 3/25 A Act का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

रामकिशोर पुत्र रामरतन श्रीवास उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु0 नवादा कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि. अर्जुन प्रसाद पटेल
2. हे0का0 दिनेश सिंह का0 अजय कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी-

एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 09.09.2025

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 08.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी द्वारा गठित की गयी व0उ0नि0 शिवदान सिंह, म0उ0नि0 नैन्सी प्रजापति मय हमराह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान घटनास्थल ईदगाह पहरेथा स्थल के सामने मैदान वहद ग्राम पहरेथा थाना खरेला पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व इस दौरान 03 अभियुक्तगण अंधेरा होने के कारण मौके से भाग गये जिस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 6500 रुपया जामा तलाशी 280/- रुपया व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद हुए व मौके से 04 अदद मो0सा0 क्रमशः 1.UP95M6708 प्लेटिना रंग स्लेटी 2.UP95Y4948 पल्सर काली रंग 3.UP95W7187 एच0एफ0 डीलक्स रंग काला 4.UP95S2194 प्लेटिना रंग स्लेटी बरामद हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 73/25 धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बरामद मोटरसाइकिलों को अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0एक्ट के तहत सीज किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. व0उ0नि0 शिवदान सिंह 2. म0उ0नि0 सुश्री नैन्सी प्रजापति
3. हे0का0 योगेन्द्र कुमार 4. हे0का0 अमित कुशवाहा
5. का0 अनिल कुमार सोनकर

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.जितेन्द्र सिंह उर्फ जीतू पुत्र विजय सिंह उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम कमलखेड़ा थाना खरेला
2.कृष्ण कुमार पटेल पुत्र झल्ली उम्र करीब 30 वर्ष निवासी कीरतपुरा थाना चरखारी जनपद महोबा
3.विवेक सिंह उर्फ बउवा सिंह पुत्र गोविन्द सिंह उम्र करीब 30 वर्ष ग्राम कमलखेड़ा थाना खरेला

बरामदगी- मालफड़ 6500/-रुपया जामा तलाशी 280/- रुपया व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद

भागे हुये अभियुक्तगण

1.नवाब सिंह पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम सलुहा थाना खरेला जनपद महोबा
2.बाबूजी पुत्र अज्ञात निवासी रहुनिया विहारी थाना खरेला जनपद महोबा
3..मान सिंह राजपूत पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम बरात पहाड़ी थाना कोतवाली जिला महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 09.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

साइबर हेल्प डेस्क थाना चरखारी की पुलिस टीम द्वारा गुम हुआ मोबाइल खोजकर पीड़ित को किया गया सुपुर्द। "महोबा पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क निरंतर सक्रिय"

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपद स्तर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.09.2025 को साइबर हेल्प डेस्क थाना चरखारी की टीम द्वारा शिकायतकर्ता अरविन्द कुमार पुत्र टुट्टी निवासी ग्राम बम्हौरी कलां थाना चरखारी जनपद महोबा का realme C55 मोबाइल फोन, जो कही गुम हो गया था, तकनीकी प्रयासों से बरामद कर आज सकुशल उनके सुपुर्द किया गया, इस अवसर पर पीड़ित द्वारा महोबा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

साइबर हेल्पडेस्क टीम-

1. उ0नि0 विशाल वाजपेयी थाना चरखारी जनपद महोबा
2. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए विकास सिंह वर्मा थाना चरखारी जनपद महोबा
3. का0 महादेव थाना चरखारी जनपद महोबा

साइबर हेल्प डेस्क से संबंधित जनहित अपील-

यदि किसी नागरिक का मोबाइल गुम/चोरी हो जाता है या साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है तो वह तत्काल नजदीकी थाना, साइबर हेल्प डेस्क अथवा टोल-फ्री नंबर 1930 पर संपर्क करें। समय पर सूचना देने से पुलिस को त्वरित कार्रवाई में सहयोग मिलता है और बरामदगी/निवारण की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें एवं व्यक्तिगत अथवा बैंक संबंधी जानकारी अजनबियों से साझा न करें।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा कुलपहाड़ सर्किल के थानों पर नियुक्त विवेचकों का विवेचना निस्तारण के सम्बन्ध में अर्दली रूम का आयोजन एवं पैदल गश्त कर कानून-व्यवस्था का लिया गया जायजा

आज दिनांक 09.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ की उपस्थिति में सर्किल कुलपहाड़ के अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के विवेचकों के साथ अर्दली रूम का आयोजन थाना कुलपहाड़ परिसर में किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि विवेचना की गुणवत्ता पुलिस की कार्यप्रणाली का मूल आधार है। अतः सभी विवेचक यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मामले की जांच तथ्यों के आधार पर, विधिक प्रक्रिया के अनुसार की जाए एवं पीड़ित पक्ष को समय से न्याय मिल सके।

अर्दली रुम के दौरान महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम, संवेदनशील मामलों में शीघ्र कार्यवाही, बच्चों एवं कमजोर वर्ग के साथ होने वाले अपराधों पर कड़ी निगरानी बनाए रखने हेतु विशेष निर्देश जारी किए गए। महिला सुरक्षा के दृष्टिगत “मिशन शक्ति” अभियान की निरंतर समीक्षा करते हुए फील्ड में अधिक सक्रियता बरतने को कहा गया।

इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में पैदल गश्त करते हुए मुख्य बाजार, संवेदनशील स्थानों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण किया गया। उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया तथा जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की।

पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त, ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा तथा किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा असामाजिक गतिविधियों पर तुरंत अंकुश लगाया जा सके।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह ने कहा कि “जनता की सुरक्षा, सम्मान एवं विश्वास बनाये रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस बल को संवेदनशील, सतर्क एवं उत्तरदायी बनकर कार्य करना होगा, जिससे आम जनमानस को सुरक्षा का वास्तविक अनुभव हो।”

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड सहित संबंधित थानों के थाना प्रभारी, उपनिरीक्षकगण एवं अन्य पुलिस स्टाफ मौजूद रहे।